

प्रासुप-६

आज दिनांक ०१/११/२०१७ को नि०ख०, लो०नि०वि० पोखरी (एजेन्सी का नाम) के द्वारा जनपद चमोली के पोखरी में २०३०का० चौड़ी-विरसण सेरा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु कि०मी० २३.०० से प्रारम्भ होकर कि०मी० ५.०० तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री किशन लाल (वन दरोगा, नागनाथ रेंज पोखरी), प्रकाश सिंह कण्डारी (वन आरक्षी, नागनाथ रेंज पोखरी), राजस्व विभाग की ओर से श्री मदन लाल (राजस्व उपनिरीक्षक, सिमलापट्ट) प्रस्ताव विभाग की ओर से श्री नीरज भण्डारी (क० अभि०), श्री राजपाल सिंह बर्वाल (अमीन) अन्य दफ्तरों की ओर से स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री सतेन्द्र सिंह नेगी (पूर्व प्रधान विरसण सेरा) के द्वारा प्रशंगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखण के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखण के चयन हेतु भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता परिरिथितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययिता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समेकित/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें आरक्षित भूमि १०० मी० ०.६३ है० नाप भूमि २५०० मी० १.७५ है०, सिविल भूमि ६०० मी० ०.४२ है०, तथा वन पंचायत भूमि १००० मी० ०.७ है० कुल ३.५ है० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। आरक्षित भूमि में वृक्षों की संख्या ५२ एवं सिविल भूमि में वृक्षों की संख्या २१ प्रभावित हो रही है। अतः कुल ६३ वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। उनकी सूची संलग्न है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरंखण कलसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हलसा है/नहीं है।

हस्ताक्षर
(जनप्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

24
दि. 20. 20. 20
श्रीवर (गोपेस्वर)
20/10/20
20/10/20
20/10/20

प्रभागीय वनाधिकारी
कैदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted, under FCA)

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer P.W.D. Pokhari** for diversion under FCA&1980 of **1.75** Of forest land non-forstry purpose. The Project envisages of forest land for construction **G.I.C. Chaundi-Virshan Sera Road**. The Site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a **RF/PF/un** classed/Protected **1.33** Civil- **0.42** and Muck Disposal - — Total measuring **1.75 ha**. The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.


Whether any rare/endanged/unique species pf flora and fauna in the area. If, so the details there for. **Not Applicable,**

Whether any protected archeological/ heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with **NOC** from competent authority, if required.- **Not Applicable.**

- (a) The user agency has not Violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

The Proposat is recommended.

Place..Gopeshwar
Date..../.../


(Signature)
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ जीव प्रसाद
Designation D.E.O. Kedar Nath WLD